



2026:AHC:20852

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- ए संख्या – 1244 सन् 2026

माधव सिंह

.....याचिकाकर्ता(याचिकाकर्ताओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....उत्तरदाता(उत्तरदाताओं)

याचिकाकर्ता(याचिकाकर्ताओं) के अधिवक्ता

: अनिल कुमार शुक्ला

उत्तरदाता(उत्तरदाताओं) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति, विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री अनिल कुमार शुक्ला और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता, श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि वह वर्ष 2008 से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें माननीय शीर्ष न्यायालय के सभाशंकर दुबे बनाम संभागीय वन अधिकारी, (2019) 12 एससीसी 297 के निर्णय के दृष्टिगत न्यूनतम वेतनमान जो कि 18000/- रुपये प्रति माह है नहीं दिया गया।
3. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्ट्या उत्तरदाता संख्या 3 द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
4. बार में दिए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, याचिकाकर्ता को निस्तारित करते हुये निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रति उत्तरदाता संख्या 3 के समक्ष प्रस्तुत करें, जिस पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर विधि के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा।

30 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति, विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"